



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE  
CHANGE



क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/ Regional Office, Gandhinagar  
ए.वींग- 407 एवं 409, "अरण्य भवन", सी.एच.-3 सर्किल के समीप, सेक्टर-10ए, गांधीनगर-382010 / A wing-  
407 & 409, "ARANYA BHAWAN", Near CH-3 Circle, Sector-10A, Gandhi Nagar-382010  
Email: iro.gandhinagr-mefcc@gov.in

दिनांक: 05<sup>th</sup> अक्टूबर, 2023

सेवामें,  
शासन सचिव(वन),  
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन,  
जयपुर, राजस्थान।

**(Online Proposal No: FP/RJ/Approach/153700/2022)**

विषय: Diversion of 0.9632 ha of forest land for Access road to cart the soil from Khodiya Kheri village Non Forest Land for Construction of Eight Lane Carriageway Starting Near Junction with NH-76 to Junction with NH-12 near Village Ummedpura (Ch.388.420 to Ch.419.00)., Kota (Raj) in favour of GHV (INDIA) PRIVATE LIMITED.

सन्दर्भ: शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक-प.1(10)वन/2023, जयपुर, दिनांक-04.07.2023.  
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी। प्रकरण के परीक्षणोपरान्त केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु 0.9632 हे० वनभूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव को एतद्वारा निम्नलिखित कारणों से निरस्त (Reject) करती है:-

1. The proposal does not serve any public interest and the User Agency has to use only land for which permission is already accorded under the provisions of FCA, 1980 for carting the materials including soil.
2. State Govt. is requested not send such proposals without proper scrutiny in future which are non-site specific. This may also be brought to the notice of all the field officers of the State Govt. who are sending this type of proposal in mechanical way without going through the utility of the proposals.

भवदीय/Sincerely,

05/10/2023  
(श्रवण कुमार वर्मा/Shrawan Kumar Verma)

उप महानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय अधिकारी/  
Deputy Inspector General (DIG)

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar.

**प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)**

1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली-110003.
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
3. उप वन संरक्षक, कोटा वनमण्डल, कोटा, राजस्थान।
4. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जी.एच.वी. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई, महाराष्ट्र।
5. आदेश पत्रावली।